न्यायालय, अपर समाहर्त्ता, कोडरमा।

विविध अनुमति वाद संख्या–**134 / 2022**

प्रसंगः–**शिवनन्दन कुमार शर्मा अन्य** – बनाम – **मो0 शान्ति देवी**

आदेश

13/07/2023

प्रस्तुत वाद उपायुक्त, कोडरमा के आदेशानुसार प्रभारी पदाधिकारी, विधि शाखा, कोडरमा के पत्रांक– 525 / विधि दिनांक–02 / 05 / 2023 द्वारा भूमि बिक्री करने की अनुमति से संबंधित वाद प्राप्त हुआ है। आवेदक श्री शिवनन्दन कुमार शर्मा, पिता स्व0 मूरलीधर शर्मा निवासी डोमचॉच जिला–कोडरमा ने छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा–46 (i)(b) के तहत् मौजा कोडरमा थाना नं0–333, खाता नं0–121, प्लॉट नं0–1154, रकवा –0.06 ए0, भूमि मो0 शान्ति देवी पति स्व0 बालेश्वर राम, पोस्ट–थाना–डोमचाँच, जिला–कोडरमा से उक्त प्रश्नगत भूमि खरिदने हेतु अनुमति का माँग किया है।

अचल अधिकारी, डोमचाँच का पत्रांक–73 दिनांक–11.01.2023 के द्वारा प्रस्तावित भूमि का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अंचल अधिकारी के प्रतिवेदन के अनुसार विक्रेता मो0 शान्ति देवी पति स्व0 बालेश्वर राम, पोस्ट–थाना–डोमचाँच, जिला–कोडरमा से जाति, अवासीय प्रमाण पत्र एवं जमीन दस्तावेज का माँग किया गया, परन्तु विक्रेता द्वारा उक्त दस्तावेज समर्पित नही किया गया, जिससे स्पष्ट होता है कि विक्रेता भूमि बिक्री नही करना चाहते है, ~~का~~ अंचल अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है।

C.C.-I 666 09/9/23

विक्रेता मो0 शान्ति देवी पति स्व0 बालेश्वर राम, न्यायालय में उपस्थित हो कर उक्त भूमि बिक्री नही करना चाहते है के संबंध में लिखित आवेदन दाखिल किया गया है।

अतः उपरोक्त तथ्यों / विक्रेता के आवेदन एवं अंचल अधिकारी, कोडरम का मंतव्य के आधार पर मौजा कोडरमा थाना नं0–333, खाता नं0–121, प्लॉट नं0–1154, रकवा –0.06 ए0, भूमि बिक्री करने की अनुमति नही दी जाती है। इसी आदेश के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

अपर समाहर्त्ता,
कोडरमा।

Digitally signed by POONAM KUJUR
Date: 2024.07.05 17:25:26 +05:30
Location: fd01::abb3:494e:5698:ce6d